ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अजित कुमार पुत्र अनिल कुमार, निवासी गांव नेरी, डा० गैहरा, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में अजित कुमार पुत्र अनिल कुमार, निवासी गांव नेरी, डा० गैहरा, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 27—10—2002 को घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अजित कुमार पुत्र अनिल कुमार, निवासी गांव नेरी, डा० गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15—12—2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16—11—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

रेखा पुत्र जनक राज, गांव बन्दला, डा० कुनेड, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में रेखा पुत्र जनक राज, गांव बन्दला, डा० कुनेड, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 03—04—1981 को घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रेखा पुत्र जनक राज, गांव बन्दला, डा0 कुनेड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13—12—2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14—11—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती वीना कुमारी पत्नी श्री परवेश कुमार, निवासी गांव व डा0 नैनीखड, उप—तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम वीना कुमारी है जोकि उसके स्कूल प्रमाण—पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल नैनीखड जरेई में गलती से वीना देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21—12—2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18—11—2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कर्नल हेंमत चतुर्वेद पुत्र श्रीमती मीनाक्षी चतुर्वेदी, निवासी फलैट नं0 404 ए टॉवर चौथी मंजिल प्रोव्यू लाबोनी एबीएस कॉलेज एनएच 24 के पास क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद यूपी—201 016.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी माता का सही नाम श्रीमती मीनाक्षी चतुर्वेदी है। उनका नाम आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड व मृत्यु प्रमाण–पत्र में सही दर्ज है, लेकिन मलकियती भूमि मुहाल डलहौजी खास पटवार वृत्त डलहौजी में उनकी माता का नाम श्रीमती ओम दुलारी पुत्री श्रीमती सनेहलता दर्ज है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्त करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23–12–2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21–11–2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

—————————

ब अदालत श्री आयूब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : ना0 त0/वाचक/उप तह0/तेलका/2024–788–89 दिनांक : 19–11–2024

छाया देवी पुत्री प्रीतम, गांव कुट, डा0 भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भजोत्रा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-18821, दिनांक 04–10–2024, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार नकल जिसमें आवेदिका छाया देवी पुत्री प्रीतम, गांव कुट, डा0 भजोत्रा, ग्राम पंचायत भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका छाया देवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य

है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 04–10–2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती छाया देवी पुत्री प्रीतम, गांव कुट, डा0 भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05–10–2000 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती छाया देवी पुत्री प्रीतम, गांव कुट, डा0 भजोत्रा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, भजोत्रा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–11–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————